राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

अधिकारी :– महीपाल सिंह आर0ए0एस0

संख्या :– 62/2021 प्रा0 पत्र

भगवती कंवर पुत्री जयसिंह जाति दरोगा उम्र बालिग नि0 बेमाली

प्रार्थी........

बनाम

भैरु लाल पुत्र ईश्वर लाल जाति गुर्जर उम्र बालिग नि0 गुर्जर खेड़ा (बेमाली) व अन्य

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 06/04/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नम्बर 4231/588, खाता संख्या 727 कुल किता रकबा .....95 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा ज्ञात नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19/02/2021 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को ...नार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते ...र्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली तहसील करेड़ा में स्थित आराजी 4231/588 खाता संख्या 727 कुल किता 1 रकबा ...9 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बेमाली को 500/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। ... फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते ... के आधार मानकर ... की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:42:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रति:– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा